

RCMS-2018/00033

न्याय आपके द्वार अभियान, 2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली) राज.
(शिविर :- मगरतलाब)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाड़ा, RAS

निर्णय दिनांक :- 01.05.2018

वादीगण :-

1. नेनाराम पुत्र खेताजी
2. केसाराम पुत्र खेताजी
3. भगाराम पुत्र खेताजी
जाति सिरवी, निवासी-टोकरला खातेदार

प्रतिवादीगण :-

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित।

वादीगण ने परस्पर सहमति से वाद बाबत् विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद ग्राम गुडा जैतावता में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 500/327, 501/366, 328, 379 रकबा 0.80, 0.80, 0.93 एवं 4.05 कुल रकबा 6.58 हैक्ट. किस्म बारानी अवल, बारानी दोयम, लगानी 37.96 रु. वादीगण 1 से 3 को संयुक्त खातेदारी पृथक-पृथक खातों में दर्ज है। जिसका आपसी सहमति से विभाजन निम्नानुसार कर दिया गया है। अतः विभाजन का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत वाद में सहमति प्रस्तुत की गई एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद, नक्शा मौका के वाद विभाजन को स्वीकार किया गया।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन कृषि भूमि निम्नानुसार डिक्री किया जाता है।


नाम वादी / खातेदार	विभाजित भूमि का विवरण				मौका नक्शा स्थिति
	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	लगान	
1	2	3	4	5	6
नेनाराम पुत्र खेताराम, जाति सिरवी साकिन-टोकरला खातेदार	379	2.16	बा.दो.	10.80	हरा
भगाराम पुत्र खेताराम जाति-सिरवी साकिन-टोकरला खातेदार	379/1	0.81	बा.दो.	4.05	गुलाबी
	379/4	0.55	बा.दो.	2.75	
	501/366	0.80	बा.अ.	5.60	
योग :-	3	2.16		12.40	

पीठासीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
न्याय आपके द्वार 2018
देसूरी

केसाराम पुत्र खेताराम जाति-सिरवी साकिन-टोकरला खातेदार	379/3 500/327 328	0.43 0.80 0.93	बा.दो. बा.अ. बा.अ.	2.15 5.60 6.51	आसमानी
योग :-	3	2.16		14.26	
नेनाराम पुत्र खेताराम 1/3 भगाराम पुत्र खेताराम 1/3 केसाराम पुत्र खेताराम 1/3 जाति-सिरवी साकिन-टोकरला खातेदार	379/2	0.10	बा.दो.	0.50	लाल

उपरोक्तानुसार विभाजित भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पृथक-पृथक खातों में दर्ज करने के साथ प्रस्तुत नक्शा मौका निर्णय का भाग माना जावेगा। नक्शा में तरमीम की जावे। आदेश की पालना के लिए निर्णय मय नक्शा की प्रति तहसीलदार देसूरी को एवं पटवारी हल्का मगरतलाब को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मजमा-ए-आम शिविर मगरतलाब में सुनाया



क्रमांक :- रीडर/2018/ 358-59
प्रतिलिपि :- निम्न को पालनार्थ प्रेषित है :-
1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, मगरतलाब

*Recd
2nd
15/5/18*

15

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
(उपखण्ड अधिकारी)
न्याय आपके द्वार 2018
दिनांक :- 01.05.2018

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन देसूरी
(उपखण्ड अधिकारी)
न्याय आपके द्वार 2018
देसूरी